न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर-ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 32/2024

उनवान

1. गैंदा पुत्र नानगराम निवासी चक मनोहरपुर तहसील आमेर जिला जयपुर राज.
2. ओमप्रकाश पुत्र सेडूराम
3. जगदीश पुत्र रामनाथ
4. नाथू पुत्र प्रभात उर्फ परता
5. रामचन्द्र पुत्र सेडूराम
6. जगदीश पुत्र कालूराम
7. रामपाल पुत्र सेडूराम
8. सुरजी देवी पत्नी श्रवण कुमार

समस्त निवासी नवलपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2 बोदूराम पुत्र हीराराम
3.अमरचन्द पुत्र हनुमान
4. बोदू पुत्र भैरू
5. बनवारी पुत्र भंवरा
6. भगवान पुत्र भंवरा
7 रामकुंवार पुत्र भंवरा
8.हनुमान पुत्र भंवरा
9. सुवालाल पुत्र हुकमा राम
10. जगदीश पुत्र हुकमा राम
11.कमली पत्नी बद्री
12.कैलाश पुत्र हीरा
13. सुरेश पुत्र बद्री

समस्त निवासी नवलपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

14. कालूराम पुत्र रामेश्वर
15. रोहिताश पुत्र रामेश्वर
16. मुकेश पुत्र रामेश्वर
17. मोहनलाल पुत्र रूडाराम
18. ग्यारसीलाल पुत्र रूडाराम
19. प्रकाश चन्द पुत्र रूडाराम

समस्त जाति अहीर निवासी नवलपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

अप्रार्थीगण

<u>प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956</u>

निर्णय दिनांक: 26/6/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि हाल आराजी खाता सं0 612/0.14, 583/0.17, 586/0.34, 600/0.90, 609/0.10, 611/0.15, 770/0.28, 771/0.07, 772/0.07, 389/0.66, 582/1/0.08, 598/0.33, 608/0.02, 610/0.17, 613/0.51, 773/0.03 है0 भूमि वाकै ग्राम नवलपुरा तह0 शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है । आराजी ख0 न0 582/1/0.08, 598/0.33, 608/0.02, 610/0.17, 613/0.51, 773/0.03 है0 भूमि वाकै ग्राम नवलपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर का उपतहसीलदार मनोहरपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

के आदेश कमांक / सीमाज्ञान / 2020 / 14 दिनांक 05.06.2020 की पालना में दिनांक 14.10.2020 को तथा आराजी ख0 न0 612 / 0.14, 583 / 0.17, 586 / 0.34, 600 / 0.90, 609 / 0.10, 611 / 0.15, 770 / 0.28, 771 / 0.07, 772 / 0.07, 389 / 0.66 है0 भूमि वाकै ग्राम नवलपुरा तह0 तहसील जयपुर का उपतहसीलदार मनोहरपुर के आदेश कमांक / सीमाज्ञान / 2020 / 13 दिनांक 05.06.2020 की पालना में दिनांक 14.10.2020 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहती है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । दिनांक 04.04.2024 को अप्रार्थी सं0 01 लगायत 14 की तामिल हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नही आये। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक भूअ / 2024 / 3015 दिनांक 14.06.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम नवलपुरा के ख0 न0 588, 600 की दक्षिणी मेड पर अन्य खातेदारो का आंशिक कब्जा है। ख0 न0 609 पर अन्य खातेदारो द्वारा पुख्ता निर्माण कर आंशिक कब्जा किया हुआ है। ख0न0 772, 773 पर अन्य खातेदारो द्वारा पुख्ता निर्माण कर आंशिक रूप से कब्जा किया हुआ है। ख0 न0 612, 583, 586, 611, 770, 771, 389, 582, 608, 610, 613 पर सीमा संबंधित विवाद है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया । प्रकरण में अप्रार्थीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, जबाव सरकार एवं फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 14.10.2020 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार / काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खाता सं0 612 / 0.14, 583 / 0.17, 586 / 0.34, 600 / 0.90, 609 / 0.10, 611 / 0.15, 770 / 0.28, 771 / 0.07, 772 / 0.07, 389 / 0.66, 582 / 1 / 0.08, 598 / 0.33, 608 / 0.02, 610 / 0.17, 613 / 0.51, 773 / 0.03 है0 भूमि वाकै ग्राम नवलपुरा तह0 शाहपुरा ,प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.10.2020 के अनुसार नियमानुसार कब्जे से संबंधित विवादित आराजीयात् को छोडते हुये पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/6/24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)
शाहपुरा जिला जयपुर